समाचार-प्रकाशनार्थ:-

जुलवानियां में खाद बनकर तैयारए पैंकग शुरु हुई

नगर निगम आयुक्त ने जुलवानियां ट्रेचंग ग्राउण्ड का निरीक्षण कर शाखा प्रमुखों को दिए आवश्यक निर्देशए श्वान बधयाकरण की कार्रवाई भी तेज हुई

रतलाम 06 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर के वार्डो को जीरों वेस्ट बनाने के प्रयास भी अब तेज होने लगे है। कचरा सेग्रीकेशन की कार्रवाई के चलते शनिवार सुबह नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जुलवानियां टेंचंग ग्राउण्ड का निरीक्षण कर यहां गीला कचरा निपटान की व्यवस्थाओं को देखा और स्वच्छ सर्वेक्षण में तैनात अमले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पाया गया क यहां तैयार कम्पोज के तहत खाद की पैकंग शुरु हो चुकी है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के वार्डो को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत पछले दिनों वार्ड क्रमांक 7ए 8ए 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाना शुरु कर दिया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। उक्त वार्डो के घरों से गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रहण कया जा रहा है। गीले कचरे का उपयोग खाद बनाने के लए कया जा रहा है। वही सूखा कचरा रिंग पकर्स महिलाओं के लए रोजगार का साधन बना हुआ है।

जीरों वेस्ट के लए चयनित वार्डो में नगर निगम को बेहतर परिणाम मलने लगे है। शनिवार को इस प्रक्रया की जानकारी लेने के लए आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया जुलवानिया पहुचे और उन्होने गीले कचरे को खाद के लए उपयोगी बनाए जाने के लए तैयार की गई खाद और इसकी पैंकग की जानकारी ली।

श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड पर्यवेक्षकों के साथ कचरा निपटान कार्य में लगे अ धकारी-कर्मचारियों से भी स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत वार्डो में चल रहे कार्यो की सल सलेवार जानकारी ली।

इस मौके पर श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क वर्तमान में रतलाम शहर ओडीएफ प्लस-प्लस हो चुका है। इसी के चलते हमने स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम को फाईव स्टार रैं कंग के लए अप्लाय कया है। इन्ही कार्रवाईयों के चलते पूरे शहर के हर घर से सेंग्रीकेटेड कचरा उठे जिसकी जुलवानिया में सही तरीके से प्रोसे संग हो। इसी के साथ हर वार्ड में सडकोंए नालोए ना लयोंए बागीचोंए सार्वजनिक आदि स्थलों की सफाई कार्य का सुपर वजन कया जा रहा है।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए इंजीनियरए झोन प्रभारीए पर्यवेक्षक सहित निगम अ धकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वच्छता ही स्वस्थ्य जीवन की राह होती है

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर में चल रहे स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों में

नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सलाह दे रहे है व भन्न रोगों के वशेषज्ञ

रतलाम 06 मार्च । एक स्वस्थ जीवन जीने के लए सफाई बेहद जरूरी है। स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार हो सकता हैए जब पहले अपने आस-पास स्वच्छता का माहौल बनाया जाए। स्वच्छ जीवन ही स्वस्थ्य जीवन जीने की राह है। डाक्टर भी अपने पास आ रहे मरीजों को स्वच्छता का वशेष ध्यान रखने की सलाह देते हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत नगर निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया के निर्देश पर शहर के अनेक इलाकों में चल रहे स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों मेें आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी व भन्न रोग वशेषज्ञों के माध्यम से कराया जा रहा है। ये सभी च कत्सा वशेषज्ञ

महिलाए पुरुष और बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण करने और उन्हे जरुरी दवाईयां मुहैया कराने के साथ ही अपने घर और आसपास की सफाई पर ध्यान देने की सीख दे रहे है।

शनिवार को सफाई मत्र समूह की टीम ने शहर के आधा दर्जन कचरामुक्त स्थलों व स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रमों के दौरान स्वच्छता का संदेश देने वाले रांगोली का निर्माण कर आसपास के लोगों से दीपदान भी कराया है।

स्वच्छता जागरुकता आयोजन के तहत आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए उपायुक्त श्री वकास सोंलकीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह आदि नागरिकों से आव्हान कर रहे है क स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने के प्रयासों में शा मल हो और फीडबैक के माध्यम से अपनी जानकारी सकारात्मक ढंग से दे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों को संबो धत करते हुए कहां क गांधीजी ने भी कहा है क हर आदमी को अपनी साफ - सफाई खुद करनी चाहिए क्यों क साफ सफाई तो देश भक्ति के समान है। अगर आप ईश्वर का आशीर्वाद पाने चाहते है तो मन की प वत्रता के साथ - साथ अपने घर और मोहल्ले की स्वच्छता भी अनिवार्य है। एक स्वच्छ शरीर अस्वच्छ शहर में वास नहीं कर सकता इसी सोच के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2 अक्टूबरए 2014 को स्वच्छ भारत के निर्माण के लए स्वच्छता अ भयान शुरु कया था।

उन्होने कहां क सामूहिक जीवन में सफाई आ र्थक सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। समाज के सर्वंगीण हित की दृष्टि से सफाई के बुनियादी तथ्यों तक पहुंचना बेहद जरुरी है। सबसे बड़ी सम्पत्ति आप की सेहत ही है। कहा भी जाता है क स्वास्थ्य ही धन है और स्वास्थ्य है तो सबकुछ है। इस लए इस धन को प्राप्त करने के लए उपर्युक्त साफ - सफाई को नजर अंदाज मत कीजिए।

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिक दिखा रहे हैं रू च

वार्ड 7ए 8ए 17 व 19 में जीरो वेस्ट का कार्य निरंतर जारी

सोमवार से वार्ड 3 व 18 में भी जीरो वेस्ट का कार्य प्रारंभ होगा

स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रतिदिन मल रहा है रोजगार

रतलाम 06 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 7ए 8ए 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस संबंध में बैठक लेकर वार्ड क्रमांक 7ए 8ए 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने हेतु 06 मार्च शनिवार को कये गये कार्यो की जानकारी नियुक्त स्वास्थ्य अ धकारीए इंजीनियरए झोन प्रभारीए पर्यवेक्षकए वार्ड दरोगाए ड्रायवर व आईईसी टीम के सदस्यों से लेकर निर्दे शत कया क इस कार्य में कसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाये। साथ ही नागरिकों को भी इस कार्य में जोड़े ता क पुरे रतलाम शहर को जीरो वेस्ट रतलाम बनाकर स्वच्छता के क्षेत्र में रतलाम को नम्बर 1 बनाया जा सके।

वार्ड क्रमांक 7ए 8ए 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता व नागरिकों के उत्साह को देखते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने जीरो वेस्ट वार्ड में 2 वार्ड ओर शा मल कये जिसके तहत वार्ड 3 व 18 में 08 मार्च सोमवार से कार्य प्रारंभ कया जायेगा जिसमें वार्ड के 100 प्रतिशत घरो से गीले व सूखा कचरा पृथक-पृथक लया जायेगा व स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं द्वारा वार्ड में ही एक स्थान पर छटनी की जाकर कबाड़ी को वक्रय कया जायेगा जिससे स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को काम मलने के साथ दो नो वार्ड जीरो वेस्ट होकर स्वच्छ व सुन्दर बनेंगे।

बैठक में बताया गया क जीरो वेस्ट वार्डो में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहूची वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए

इंजीनियर आदि ने घर-घर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर कबाड़ी को तौलकर वक्रय कया गया।

बैठक में बताया गया क वार्ड क्रमांक 7ए 8ए 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का कार्य 100 प्रतिशत सफल रहा। वार्डो के प्रत्येक घरो से गीले एवं सूखे कचरे को दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा पृथक पृथक लया गया जिसमें नागरिकों ने उत्साह से सहयोग कया। सूखे कचरे से 6 मार्च को वार्ड क्रमांक 7 में 548ए वार्ड क्रमांक 8 में 644ए वार्ड क्रमांक 17 में 120 व वार्ड क्रमांक 19 में 680 रूपये स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्राप्त हुए।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे्चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क नगर को गारबेज फ्री सटी बनाने के लये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका वशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालो पर जुर्माना कये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क सभी सड़को की स्वी पंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वी पंग करवाई जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोंलकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए श्री एम.के. जैनए श्री अर वन्द दशोत्तरए निगम स चव श्री जसवन्त जोशीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए बी.एल. चौधरीए राजेश पाटीदारए मनीष तिवारीए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए श्री बी.एल. चावरेए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगायाए श्री अनील पाराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए दरोगा आदि उपस्थित रहे।

दिव्यांगजनों के उपकरण व कृत्रिम अंग हेतु आज श वर का आयोजन
 वधायक सभगृह में प्रातः 11ः00 बजे से आयोजिजत होगा श वर

रतलाम 06 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दिव्यांगजन को उपकरण एवं कृत्रिम अंग तथा वृद्धजनों को सहायक उपकरण प्रदाय कये जाने हेतु 07 मार्च र ववार को वधायक सभागृह में प्रातः 11ः00 बजे से ष वर का आयोजन कया गया है।

नगर निगम द्वारा अपील की जाती है क नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवास करने वाले दिव्यांगजन तथा वृद्धजन जिन्होने पछले तीन वर्शो से कसी भी स्त्रोत से निःषुल्क उपकरण प्राप्त नहीं कये हैं वे उपकरणए स्वास्थ्य परीक्षणए कृत्रिम अंग हेतु आयोजित ष वर में आय प्रमाण-पत्रए निवास प्रमाण-पत्र जैसे आधार कार्डए राषनकार्डए द् वव्यांग प्रमाण-पत्र फोटोए समग्र आईडी लेकर उपस्थित होवें। इसी ष वर में नषाग्रस्त व्यक्तियों का चन्हांकन एवं काउंस लंग भी की जायेगी।

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन
50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत
उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 06 मार्च । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत श्रीमाल बाजार बाजना बस स्टैण्ड पर 2000ए प्रवीण चमारिया नाकाए मुख्तियारए षाहरूख पावर हाउस रोड व दो अन्य पर 250.250ए मनोज बाजना बस स्टैण्ड व चमारिया नाका मे एक अन्य पर 100.100 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000६ रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 32 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 06 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डो में 06 मार्च शनिवार को बिना सूचना के 32 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

पैलेस रोड पर सोमवार से लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 46ए37ए144६ संपत्तिकर व 10ए45ए800६ जलकर जमा कराया

रतलाम 06 मार्च । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्वििर में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में

संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड षवर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी षवर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर षवर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर षवर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी षवर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर षवर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर षवर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल षवर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ़ षवर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास षवर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी षवर में संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टॉकज षवर में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी षवर मे संपत्तिकर 86ए000६ व जलकर 35ए140६ए प्रताप नगर षवर में संपत्तिकर 1ए16ए000 व जलकर 57ए670६ए महावीर नगर षवर में संपत्तिकर 69ए000६ व जलकर 21ए185६ की राष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेंं ने अब तक आयोजित षवरों मेेंं 47ए06ए144६ संपत्तिकर व 10ए66ए985६ जलकर की राष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली षवरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में षवर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन

नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें

रतलाम 06 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्देए मनोज झांझोटए राकेष ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

713 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 06 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा

अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 06 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 713 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 05 मार्च शनिवार को चांदनी चौक व घांस बाजार से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 06 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 06 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 06 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 06 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/06ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.